

(7) श्री दिलीप भट्टेरे, सदस्य, जिला बालाघाट मुख्यालय लांजी के 6 बिस्तरों वाले अस्पताल की जगह ३० बिस्तरों वाले अस्पताल की व्यवस्था करने,

(8) श्री रामदयाल अहिरबाब, सदस्य -

(क) जिला छतरपुर, विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने, ३० पलंगों एवं पुरुष-महिला विकित्सक की व्यवस्था किये जाने, तथा

(ख) जिला-छतरपुर, विधानसभा क्षेत्र महाराजपुर, ग्राम टटम की माध्यमिक शाला को उच्चतर माध्यमिक शाला में परिवर्तित कराने,

(9) श्रीमती जयश्री बैनजी, सदस्य, विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पश्चिम में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था,

(10) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य -

(क) जिला देवास, तहसील कञ्चीद के ग्राम बुरुट में हैण्डपेप लगाये जाने,

(ख) जिला-देवास, तहसील कञ्चीद के ग्राम बुरुट से ग्राम पीपल कोटा तक गिट्टीकृत पहुंच मार्ग बनवाने,

(ग) जिला-देवास, तहसील कञ्चीद के ग्राम बुरुट के कृषकों को सिंचाइ सुविधा हेतु स्टापडेम बनवाने,

(घ) जिला-देवास, तहसील कञ्चीद, ग्राम सिरसोदिया से टाकलीखेड़ा मार्ग की मरम्मत एवं पुलियों का निर्माण करवाने,

के संबंध में याचिकाएँ प्रस्तुत करें।

4. मध्यप्रदेश के अननुमोदन का संकलन

सर्वश्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, बाबूलाल गौर, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, निम्नलिखित संकलन प्रस्तुत करेंगे-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल के द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (क्रमांक 1 सन् 1994) का अननुमोदन करता है।"

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

1 घन्टा (1) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 6 सन् 1994) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

(2) श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गंगाजली निधि न्यास (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1994) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

6. प्रतिवेदनों पर चर्चा

2 घन्टे

(1) मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल, जबलपुर के वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1993-94

30 मि.

(2) मेंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर की ३० वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1991-92 पर चर्चा।

1 घन्टा

(3) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पर चर्चा।

7. नियम 52 के आधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 22 फरवरी, 1994 को पश्चुपालन मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अलारंकित प्रश्न संख्या ३ (क्रमांक ७९) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

(2) दिनांक 25 फरवरी, 1994 को स्कूल शिक्षा मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अलारंकित प्रश्न संख्या १३ (क्रमांक ७०४) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामकिशोर शुक्ल, सदस्य चर्चा उठायेंगे।